दस रुपये TEN RUPEES

# समक्ष श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, भोपाल क्रेम्प (म.प्र.)

निग -1049-PBR/16 पुनरीक्षण याचिका कमांक............../2016

Entry (15)

श्री गौरवजीत सिंह स्व. श्री नरेन्द्रजीत सिंह, आयु–29 वर्ष,
जाति–सिक्ख, पता–228, जोन–1, एम.पी.नगर,
जिला–भोपाल (म.प्र.) ------- आवेदक /पुनरीक्षणकर्ता

**विरूद्ध**

श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव पत्नी श्री के.एल.श्रीवास्तव
निवासी–टून मोटर्स एम.पी.नगर, भोपाल (म.प्र.) ------- अनावेदक/उत्तरदाता

## पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा–50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता–1959

आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अनावेदक/उत्तरदाता के द्वारा धारा–129 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता–1959 के तहत बिना आवेदक पुनरीक्षणकर्ता को सूचना दिये बगैर अपने स्वामित्व की भूमि का सीमांकन करवाया था जिसका **सीमांकन प्रकरण कमांक–35/अ–12/14–15 में स्वीकृत आदेश दिनांक 09/03/2015** से दुखित होकर आवेदक पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा यह पुनरीक्षण याचिका निम्नलिखत तथ्यों एवं वैद्यानिक आधारो पर प्रस्तुत की जा रही हैः–

## पुनरीक्षण याचिका के तथ्य

1. यह कि, आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि स्थित ग्राम–रातीबड़, तहसील–हुजूर जिला भोपाल में स्थित है। जिसकी पुष्टि आवेदक पुनरीक्षणकर्ता के नाम के खसरा–खतौनी की नकल से होती है। इस प्रकार आवेदक पुनरीक्षणकर्ता को **खसरा क्रमांक–114 रकबा–0.860 हेक्टेयर** भूमि अपने पिता से फौती नामांतरण के रूप में प्राप्त हुई है। इस प्रकार आवेदक पुनरीक्षणकर्ता की भूमि से लगी हुई अनावेदक उत्तरदाता की भूमि है। जिनके द्वारा आवेदक पुनरीक्षणकर्ता कों परेशान करने की बदनियति से एक छदम तरीके से सीमांकन करवाना व्यक्त किया है। जबकि दूषित सीमांकन के सम्बन्ध में आवेदक पुनरीक्षणकर्ता को किसी प्रकार का कोई सूचना–पत्र जारी नहीं हुआ है बल्कि आवेदक पुनरीक्षणकर्ता के मृतक पिता का नाम लिखते हुये सीमांकन का सूचना–पत्र जारी हुआ है। इस प्रकार आवेदक के पिता श्री नरेन्द्रजीत सिंह का देहान्त 02.08.1994 को हो गया है। किन्तु अनावेदक उत्तरदाता द्वारा मृतक व्यक्ति पर दिनांक 02.03.2015 को सूचना–पत्र तामील होने का व्यक्त किया है जो कि अस्तित्व में ही नहीं है।

CP 264/16
N.P. 26/4/16
31/3/2016

## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1049-PBR/16 जिला - भोपाल

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 28-8-2019 | प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल-3 तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.03.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25.09.2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल-3 तहसील हुजूर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अतः संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, भोपाल को भेजा जाता है ।<br><br>कलेक्टर, भोपाल प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 22-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों ।<br><br>अध्यक्ष | |